

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो0ब0-31 / 2018-1474 दिनांक : 17/12/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/  
लातेहार वन प्रमण्डल/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल/चतरा उत्तरी वन  
प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/सिमडेगा वन प्रमण्डल।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन सीमा का  
सुदृढ़ीकरण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पक्का सीमा स्तम्भ निर्माण हेतु  
रु0 363.465 (तीन करोड़ तिरसठ लाख छियालीस हजार पाँच सौ  
रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0-32 / 2018-35 / स्वी0 व0प0 दिनांक  
03.12.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट-32 / 2018-  
87 / आ0 व0प0 दिनांक 11.12.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य  
शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण,  
विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-48 वन सीमा का सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष  
2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु0 363.465 (तीन करोड़  
तिरसठ लाख छियालीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित  
इकाईयों में किया जाता है :-

| प्राथमिक इकाई       | विपत्र कोड         | (राशि लाख में) |
|---------------------|--------------------|----------------|
| मजदूरी              | 19S240601101480103 | 145.386        |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601101480323 | 218.079        |
| कुल :-              |                    | 363.465        |

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के  
अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी  
संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने समुख अंकित कार्यों की  
राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय  
प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। सीमा स्तम्भ निर्माण संबंधी प्राक्कलन  
अनुलग्नक-2 तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601101480103 एवं 19S240601101480323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

7. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक लक्ष्य में स्वीकृत राशि से अधिक निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जाएग।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती हैं, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।



10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

13. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0—2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक—3542, दिनांक—19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

16. यह राशि उन स्थलों के लिए उप आवंटित की जाती है, जिनका डी०जी०पी०एस० सर्वे का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पक्का सीमा स्तम्भ का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत स्थल विवरणी इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—31 / 2018—1479 दिनांक—17/12/18

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशोदपुर/पलामू/हजारीबाग/राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/मेदिनीनगर/गढ़वा/हजारीबाग/चतरा/गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—31 / 2018—1474 दिनांक—17/12/18

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/गढ़वा/लातेहार/हजारीबाग/चतरा/सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन सीमा का सुदृढ़ीकरण” योजना  
 (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्रमण्डलवार पक्का सीमा स्तम्भ का उप-आवंटित भौतिक एवं  
 वित्तीय लक्ष्य (रु0 3441.25 प्रति सीमा स्तम्भ)

| क्र0<br>सं0 | निकास एवं व्ययन पदाधिकारी            | भौतिक लक्ष्य<br>(सीमा स्तम्भ<br>की सं0) | प्राक्कलित<br>राशि | मजदूरी  | आपूर्ति एवं<br>सामग्री | कुल राशि |
|-------------|--------------------------------------|---|--------------------|---------|------------------------|----------|
| i           | ii                                   | iii                                     | iv                 | v       | vi                     | vii      |
| 1           | चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा          | 2423                                    | 83.381             | 33.353  | 50.029                 | 83.382   |
| 2           | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा      | 3009                                    | 103.547            | 41.419  | 62.128                 | 103.547  |
| 3           | लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार          | 1919                                    | 66.038             | 26.415  | 39.623                 | 66.038   |
| 4           | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग | 492                                     | 16.931             | 6.772   | 10.159                 | 16.931   |
| 5           | चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा         | 360                                     | 12.389             | 4.955   | 7.433                  | 12.388   |
| 6           | चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा        | 88                                      | 3.028              | 1.211   | 1.817                  | 3.028    |
| 7           | सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा          | 2271                                    | 78.151             | 31.261  | 46.890                 | 78.151   |
| सकल योग:-   |                                      | 10562                                   | 363.465            | 145.386 | 218.079                | 363.465  |

प्रधान मर्यादित वन संरक्षक, निकास,  
 झारखण्ड, राज्य।



## आवंटन आदेश

### झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दराएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - 01/YB-31/2018/1474

दिनांक -

17-Dec-2


| क्रमांक | विपत्र कोड   | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.  | आवंटित राशि  |
|---------|--|-----------|--|--|
| 1       | S 19 240601101480103   | 76398     | SGHFOR010<br>VINAY KANT MISHRA<br>(I.F.S.)<br>DFO, CHAIBASA<br>FOREST DIV. | 3,335,300.00<br>रुपये तीस हजार पैसांस हजार तीन सौ      |
|         | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>48 - वन सीमा का सुदृढीकरण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br><b>State Scheme</b><br>State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)<br>Central Scheme : NA |           |  |  |
| 2       | S 19 240601101480103   | 76399     | GRHFWL004<br>MAMTA PRIYDARSHI<br>D.F.O. SOUTH<br>DIV.GARHWA                | 4,141,900.00<br>रुपये इकतालीस हजार इकतालीस हजार तीन सौ |
|         | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>48 - वन सीमा का सुदृढीकरण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br><b>State Scheme</b><br>State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)<br>Central Scheme : NA |           |  |  |
| 3       | S 19 240601101480103   | 76400     | LTRFOR001<br>VED PRAKASH KAMBOJ<br>DFO FOREST DIV<br>LATEHAR               | 2,641,500.00<br>रुपये छब्बीस हजार इकतालीस हजार पाँच सौ |
|         | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>48 - वन सीमा का सुदृढीकरण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br><b>State Scheme</b><br>State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)<br>Central Scheme : NA |           |  |  |
|         |  |           |  | 10,118,700.00  |

योगः


क्रमिक योगः

रुपये एक करोड़ एक हालाह हजार सात सौ

PCCF, DFO, BADHARKHANS (RANCHI)

  
(SHRI SATNAM SINGH)

| क्रमांक  | विपत्र कोड   | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.   | आवंटित राशि                                       |
|--|--|-----------|---|---|
| 4  | S 19 240601101480103   | 76401     | HZBFWL009<br>SMITHA PANKAJ<br>DIV. FOREST OFFICE<br>EAST                  | 677,200.00<br>रुपये छ: लाख सित्पात्तर हजार दो सौ  |
|  | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>48 - वन सीमा का सुदृढीकरण<br>01 - वेतन एवं भर्ते<br>03 - मजदूरी<br><b>State Scheme</b><br><br>State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)<br>Central Scheme : NA |           |   |   |
| 5  | S 19 240601101480103   | 76402     | CTRFOR002<br>NAresh CHANDRA<br>SINGH MUNDA<br>D.F.O, NORTH DIV.<br>CHATRA | 495,500.00<br>रुपये चार लाख पिनचानवे हजार पाँच सौ |
|  | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>48 - वन सीमा का सुदृढीकरण<br>01 - वेतन एवं भर्ते<br>03 - मजदूरी<br><b>State Scheme</b><br><br>State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)<br>Central Scheme : NA |           |   |   |
| 6  | S 19 240601101480103   | 76403     | CTRFOR003<br>SRI KALI KINKER<br>D.F.O. SOUTH DIVN.<br>CHATRA              | 121,100.00<br>रुपये एक लाख इक्कीस हजार एक सौ      |
|  | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>48 - वन सीमा का सुदृढीकरण<br>01 - वेतन एवं भर्ते<br>03 - मजदूरी<br><b>State Scheme</b><br><br>State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)<br>Central Scheme : NA |           |   |   |
| योग:   |  |           |   | 1,293,800.00                                      |
| क्रमिक योग:  |  |           |   | 11,412,500.00                                     |
| <p>रुपये एक करोड चौदह लाख बारह हजार पाँच सौ</p> <p><i>Shri Satnam Singh</i><br/>(SHRI SATNAM SINGH)<br/>PCCF, DEBADHAR (KANNAH) RANCHI</p> |  |           |   |   |

| क्रमांक     | विपत्र कोड  | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.  | आवंटित राशि   |
|-------------|---|-----------|--|---|
| 7           | S 19 240601101480103  | 76404     | SDGFOR002<br>PRAWESH AGRAWAL<br>DIVISIONAL FOREST<br>OFFICER SIMD  | 3,126,100.00<br>रुपये इक्लीस लाख छव्वीस हजार<br>एक सौ |
|             | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>48 - वन सीमा का सुदृढीकरण<br>01 - वेतन एवं भर्ते<br>03 - मजदूरी<br><b>State Scheme</b><br><br>State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)<br>Central Scheme : NA              |           |  |   |
| 8           | S 19 240601101480323  | 76405     | SGHFOR010<br>VINAY KANT MISHRA<br>(I.F.S.)<br>DFO.CHAIBASA<br>FOREST DIV.  | 5,002,900.00<br>रुपये पचास लाख दो हजार नौ सौ          |
|             | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>48 - वन सीमा का सुदृढीकरण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br><b>State Scheme</b><br><br>State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)<br>Central Scheme : NA |           |  |   |
| 9           | S 19 240601101480323  | 76406     | GRHFWL004<br>MAMTA PRIYDARSHI<br>D.F.O. SOUTH<br>DIV.GARHWA  | 6,212,800.00<br>रुपये बासठ लाख बारह हजार आठ<br>सौ     |
|             | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>48 - वन सीमा का सुदृढीकरण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br><b>State Scheme</b><br><br>State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)<br>Central Scheme : NA |           |  |   |
|             |   |           |  | 14,341,800.00   |
| योगः        |   |           |  | 25,754,300.00   |
| क्रमिक योगः | रुपये दो करोड सत्तावन लाख चौपन हजार तीन सौ  |           |  |   |
|             |   |           | <br>(SHRI SATNAM SINGH<br>PCCF, DEO (ADHARNAARS) RANCHI<br>17/12/2018) |   |

| क्रमांक   | विपत्र कोड  | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.   | आवंटित राशि   |
|---|---|-----------|---|---------------|
| 10  | S 19 240601101480323  | 76407     | LTRFOR001<br>VED PRAKASH KAMBOJ<br>DFO FOREST DIV<br>LATEHAR              | 3,962,300.00  |
|   | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>48 - वन सीमा का सुदृढीकरण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br><b>State Scheme</b><br><br>State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)<br>Central Scheme : NA |           | रुपये उनचालीस लाख बासठ हजार तीन सौ  |               |
| 11  | S 19 240601101480323  | 76408     | HZBFWL009<br>SMITHA PANKAJ<br>DIV. FOREST OFFICE<br>EAST                  | 1,015,900.00  |
|   | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>48 - वन सीमा का सुदृढीकरण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br><b>State Scheme</b><br><br>State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)<br>Central Scheme : NA |           | रुपये दस लाख पंद्रह हजार नौ सौ  |               |
| 12  | S 19 240601101480323  | 76409     | CTRFOR002<br>NAresh CHANDRA<br>SINGH MUNDA<br>D.F.O, NORTH DIV.<br>CHATRA | 743,300.00    |
|   | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>48 - वन सीमा का सुदृढीकरण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br><b>State Scheme</b><br><br>State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977)<br>Central Scheme : NA |           | रुपये सात लाख तीरयालीस हजार तीन सौ  |               |
| योग:  |   |           |   | 5,721,500.00  |
| क्रमिक योग:   |   |           |   | 31,475,800.00 |
| रुपये तीन करोड़ चौदह लाख पचहत्तर हजार आठ सौ         |   |           |   |               |
| (SHRI SATNAM SINGH)<br>PCCF, DEVARHARKHAND (RANCHI) |   |           |   |               |

| क्रमांक     | विपत्र कोड                                    | एक्सेस नं                                | निकासी एवं व्ययन पदा.     | आवंटित राशि                         |
|-------------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|
| 13          | S 19 240601101480323                          | 76410                                    | CTRFOR003                 | 181,700.00                          |
|             | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी                 |  | SRI KALI KINKER           | रुपये एक लाख इक्कासी हजार सात रुपये |
|             | 01 - वानिकी                                   |  | D.F.O. SOUTH DIVN.        |                                     |
|             | 101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण            |  | CHATRA                    |                                     |
|             | 48 - वन सीमा का सुदृढीकरण                     |  |                           |                                     |
|             | 03 - प्रशासनिक व्यय                           |  |                           |                                     |
|             | 23 - आपूर्ति एवं सामग्री                      |  |                           |                                     |
|             | <b>State Scheme</b>                           |  |                           |                                     |
|             | State Scheme :                                | CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) |                           |                                     |
|             | Central Scheme :                              | NA                                       |                           |                                     |
| 14          | S 19 240601101480323                          | 76411                                    | SDGFOR002                 | 4,689,000.00                        |
|             | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी                 |  | PRAWESH AGRAWAL           | रुपये छ्यालीस लाख नवासी हजार        |
|             | 01 - वानिकी                                   |  | DIVISIONAL FOREST         |                                     |
|             | 101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण            |  | OFFICER SIMD              |                                     |
|             | 48 - वन सीमा का सुदृढीकरण                     |  |                           |                                     |
|             | 03 - प्रशासनिक व्यय                           |  |                           |                                     |
|             | 23 - आपूर्ति एवं सामग्री                      |  |                           |                                     |
|             | <b>State Scheme</b>                           |  |                           |                                     |
|             | State Scheme :                                | CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) |                           |                                     |
|             | Central Scheme :                              | NA                                       |                           |                                     |
|             |   |  |                           | 4,870,700.00                        |
| योग:        |   |  |                           | 36,346,500.00                       |
| क्रमिक योग: | रुपये तीन करोड तीरसठ लाख छ्यालीस हजार पाँच सौ |  |                           |                                     |
|             |   |  | <i>Sacharan 18/12</i>     |                                     |
|             |   |  | (SHRI SATNAM SINGH)       |                                     |
|             |   |  | PCCF,D(BADHARKANNS)RANCHI |                                     |